राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 628 / 2025

लोकेश कुमार मेघवाल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए, शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, वन भवन, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :– 15.04.2025
आदेश दिनांक :– 16.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के पद पर रेंज कोटड़ा वाईल्ड लाईफ उदयपुर में दिनांक 06.10.2023 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रकाश चन्द्र अहारी का स्थानान्तरण रेंज वन्यजीव मामेर, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर किये जाने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पद का कार्यभार प्रकाश चन्द्र अहारी को दिये जाने के निर्देश अपीलार्थी को दिये गये। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना कार्यभार प्रकाश चन्द्र अहारी को सुपुर्द कर दिया गया (अनुलग्नक–5)। आदेश दिनांक 04.04.2025 द्वारा अविनाश चुण्डावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय का स्थानान्तरण रेंज कोटडा में होने से आदेश दिनांक 07.04.2025 द्वारा अविनाश चुण्डावत को रेंज कोटडा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया जहां अपीलार्थी पूर्व में ही दिनांक 22.01.2025 से निरन्तर कार्यरत था तथा आदेश की प्रति क्रम संख्या 5 पर अपीलार्थी को निर्देशित किया गया कि वह अपने पद का समस्त कार्यभार अविनाश चुण्डावत को सुपुर्द करें। किन्तु अपीलार्थी के आगामी पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई

दिशा–निर्देश प्रदान नहीं किये गये। साथ ही उक्त आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग के ही जारी किया गया है एवं आदेश दिनांक 07.04.2025 राजस्थान सेवा नियम के नियम 25–A के उल्लंघन में जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.04.2025 जो कि विधि–विरूद्ध है, को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए अपास्त किए जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 07.04.2025 राजस्थान सेवा नियम के नियम 25–A के उल्लंघन में जारी किया गया है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.04.2025 (अनुलग्नक–7) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

NDG/-